न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 130 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पांचीदेवी बैवा वेनाराम 2. गोरधन पुत्र वेनाराम 3. बाबुलाल पुत्र वेनाराम 4. दिनेश पुत्र वेनाराम 5. मूलचन्द पुत्र वेनाराम 6. पारसमल पुत्र वेनाराम सभी जातियान मेगवाल निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. चम्पा बैवा प्रतापराम 2. रामचन्द्र पुत्र प्रतापराम 3. सुनील पुत्र स्व. जोगाराम 4. भरत पुत्र स्व. जोगाराम 5. रवि पुत्र स्व. जोगाराम 6. पुजा पुत्री स्व. जोगाराम सभी जातियान मेगवाल, बालोतरा 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:– उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता।

अंतिम डिक्री   दिनांक :– 23.03.2022

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा असाडा के खेत खसरा न0 428 रकबा 37 बीघा 17 विस्वा भूमि का, वादीगण का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप के अनुसार राजस्व रेकर्ड हक हिस्से की भूमि मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 15.02.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड हक हिस्से की भूमि मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार **पचपदरा** को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार **पचपदरा** के द्वारा मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में माफिक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार उभय पक्षकारान की आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को दिनांक 07.12.2021 को भिजवाया गया। उभय पक्षकारान व उनके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होने विभाजन प्रस्ताव को आपसी सहमति से स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

वादीगण के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	नक्शा में अकिंत रंग
1	चम्पा पत्नि प्रतापराम, रामचन्द्र वल्द प्रतापराम, सुनिल, भरत, रवि, पि0 जोगाराम, पूजा पुत्री जोगाराम, कौम मेगवाल सा0 बालोतरा खातेदार	असाड़ा	428	18–19	बा. दो.	2.84	कब्बू
2	पांचीदेवी पत्नि वेनाराम, गोरधनराम, बाबूलाल, दिनेश कुमार, मूलचंद, पारसमल पि0 वेनाराम कौम मेगवाल सा0 बालोतरा खातेदार	असाड़ा	428	18–18	बा. दो.	2.84	केसरिया

तहसीलदार, **पचपदरा** को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण ... जांच तस्दीक करें साथ ही नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित राजस्व ... अमलदरामद ... आदेशित किया। विभाजन प्रसताव व विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग ... डिग्री ... खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 130 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पांचीदेवी बैवा वेनाराम 2. गोरधन पुत्र वेनाराम 3. बाबुलाल पुत्र वेनाराम 4. दिनेश पुत्र वेनाराम 5. मूलचन्द पुत्र वेनाराम 6. पारसमल पुत्र वेनाराम सभी जातियान मेगवाल निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. चम्पा बैवा प्रतापराम 2. रामचन्द्र पुत्र प्रतापराम 3. सुनील पुत्र स्व. जोगाराम 4. भरत पुत्र स्व. जोगाराम 5. रवि पुत्र स्व. जोगाराम 6. पुजा पुत्री स्व. जोगाराम सभी जातियान मेगवाल, बालोतरा 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफि[illegible] कतई [illegible] हाजरी वादीगण मिनजानिब वकील प्रतिवादीगण स्वंय मुद्दायलाह पेश हो[illegible] जाती है व डिकरी जारी की जाती है कि वादीगण के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रू[illegible] स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	गांव नाम	खसरा नं.	रकबा (बीघा)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	नक्शा में अंकित रंग
1	चम्पा पत्नि प्रतापराम, रामचन्द्र वल्द प्रतापराम, सुनिल, भरत, रवि, पि0 जोगाराम, पूजा पुत्री जोगाराम, कौम मेगवाल सा0 बालोतरा खातेदार	असाड़ा	428	18–18	बा. दो.	2.84	कब्बू
2	पांचीदेवी पत्नि वेनाराम, गोरधनराम, बाबूलाल, दिनेश कुमार, मूलचंद, पारसमल पि0 वेनाराम कौम मेगवाल सा0 बालोतरा खातेदार	असाड़ा	428	18–18	बा. दो.	2.84	केसरिया

तहसीलदार, **पचपदरा** को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें साथ ही नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे । विभाजन प्रसताव व विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। इस न्यायालय के राजस्व आवेदन संख्या 507/2017 प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के विरूद्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत रहेगी।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:04 IST
Reason: SelfAttested